न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 19/2019 अपील

1. जवाना पिता रामबक्ष गुर्जर निवासी गोटडा तहसील कोटडी	बनाम	राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार कोटडी जिला भीलवाडा
–अपीलार्थी		– रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्व आदेश तहसीलदार कोटडी बमामले
प्रकरण सं0 01/2019 निर्णय दिनांक 08.07.2019

उपस्थित –
1. श्री मनीष कुमार कांटिया अधिवक्ता – अपीलार्थी की ओर से
2. श्री विपुल बापना राजकीय अभिभाषक – रेस्पोडेण्ट की ओर से

निर्णय

दिनांक 27.09.2019

अपीलार्थी की ओर से यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत विरूद्व आदेश तहसीलदार कोटडी को बमामलें प्रकरण सं. 01/2019 निर्णय दिनांक 08.07.2019 के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पटवारी हल्का रेडवास तहसील कोटडी द्वारा सरहद गोटडा तहसील कोटडी की आराजी नं. 117 रकबा 8.00 बीघा पर प्रार्थी अपीलार्थी द्वारा अतिक्रमण कर लिये जाने से प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अधोनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट के विरूद्व निर्णय पारित करते हुए अपीलाण्ट को अतिक्रमी मानते हुए 03 माह के सिविल कारावास एवं उक्त भूमि के कुल वार्षिक रूपये का 50 गुणा यानि 400/–रूपये के आर्थिक जुर्माने की शास्ति अधिरोपित करते हुए मौके से बेदखल करने के निर्णय से दण्डित किया गया जो विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से अपास्त होने योग्य हैं। अपीलार्थी को सुनवायी का कोई अवसर नहीं दिया गया व बिना प्रोपर तामिल हुए, बिना साक्ष्य व जवाब पेश करने का अवसर दिये ही उक्त निर्णय पारित कर दिया जो अपास्त होने योग्य है। अपीलाण्ट कषक हैं और कृषि के द्वारा ही अपना व अपने परिवार का जीवन यापन कर रहा है। यदि अपीलार्थी का चारागाह भूमि पर किसी प्रकार का कब्जा पाया जाता हैं तो छोड़ने को तैयार हैं। निवेदन हैं कि अपीलाण्ट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को अपास्त किया जावे।

प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में दिनांक 19.07.2018 को पंजीबद्ध की जाकर विपक्षी को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय से अपीलाधीन आदेश संबंधी रिकार्ड तलब किया गया ।

अपीलार्थी अधिवक्ता एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

बहस दौरान अपीलार्थी अधिवक्ता ने अपील मेमों मे वर्णित कथन को दोहराते हुए निवेदन किया कि पटवारी हल्का रेडवास तहसील कोटडी द्वारा सरहद

गोटडा तहसील कोटडी की आराजी नं. 117 रकबा 8.00 बीघा पर प्रार्थी अपीलार्थी द्वारा अतिक्रमण कर लिये जाने से प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट के विरूद्व निर्णय पारित करते हुए अपीलाण्ट को अतिक्रमी मानते हुए 03 माह के सिविल कारावास एवं उक्त भूमि के कुल वार्षिक रूपये का 50 गुणा यानि 400/–रूपये के आर्थिक जुर्माने की शास्ति अधिरोपित करते हुए मौके से बेदखल करने के निर्णय से दण्डित किया गया जो विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से अपास्त होने योग्य हैं। अपीलार्थी को सुनवायी का कोई अवसर नहीं दिया गया व बिना प्रोपर तामिल हुए, बिना साक्ष्य व जवाब पेश करने का अवसर दिये ही उक्त निर्णय पारित कर दिया जो अपास्त होने योग्य है। अपीलाण्ट कृषक हैं और कृषि के द्वारा ही अपना व अपने परिवार का जीवन यापन कर रहा है। यदि अपीलार्थी का चारागाह भूमि पर किसी प्रकार का कब्जा पाया जाता हैं तो छोड़ने को तैयार हैं। निवेदन हैं कि अपीलाण्ट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को अपास्त किया जावे।

राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि अपीलार्थी के विरूद्व राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी। वादग्रस्त आराजी वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे चारागाह प्रथम सार्वजनिक प्रयोजनार्थ दर्ज हैं। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत हैं। अपोल अपीलार्थी खारिज फरमायी जावे।

पत्रावली में उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय के आदेश का अवलोकन किया गया एवं अपीलार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। ग्राम गोठडा की आराजी नं. 117 रकबा 8.00 बीघा किस्म चारागाह प्रथम सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित भूमि पर अतिक्रमण एवं पश्चातवर्ती अतिक्रमण कर रखा है। नियमानुसार नोटिस जारी कर अपीलार्थी को अवसर प्रदान किया गया। चारागाह भूमि नियमन योग्य नहीं हैं। जिस फलस्वरूप अधीनस्थ न्यायालय ने राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर अतिक्रमी के विरूद्व शास्ति राशि 400/–रूपये आरोपित कर अतिक्रमी को राजकीय भूमि से बेदखल किये जाने का आदेश पारित किया हैं एवं सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण के लिए अपीलाण्ट को तीन माह के सिविल कारावास से दण्डित किया हैं, जो युक्तियुक्त प्रतीत होता है। उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलार्थी स्वीकार योग्य नहीं ठहरती हैं। अतएव–

आदेश

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत खारिज की जाती है। तहसीलदार कोटडी के प्रकरण सं. 01/2019 निर्णय दिनांक 08.07.2019 को यथावत रखा जाता हैं। निर्णय की प्रति मय तलविदा रिकार्ड अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, कोटडी को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 27.09.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार)
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar
Date: 2019.09.27 16:22:00 IST
Reason: SelfAttested
Location: